Received through Email dt 08/06/26

387

संचिका संख्या–01 / CL–10–17 / 2025, श्र०सं०– 3212

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव
सभी विभागाध्यक्ष।
पुलिस महानिदेशक।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक– 5/6/26

विषयः– विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर दिनांक–12.06.2026 को विभिन्न कार्यालयों में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। बाल श्रम एक सामाजिक अभिशाप है एवं इसके विरूद्ध सभी हितधारकों का प्रयास अपेक्षित है। इसके तहत राज्य के सभी कार्यालयों / विद्यालयों में दिनांक–12.06.2026 को बाल श्रम के विरूद्ध शपथ–ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाना है।

अतएव पत्र के साथ शपथ–पत्र संलग्न करते हुए आप सभी को निदेश दिया जाता है कि दिनांक–12.06.2026 के अपराह्न 12:00 बजे अपने कार्यालय परिसर में सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ शपथ लेना सुनिश्चित करें।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(प्रत्यय अमृत)

SS

DIS-01

9/6/26

S.O-17

9.6.2026

337 JS
09-06-26

उप सचिव
मुख्यालय (स्थापना)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
डायरी संख्या-........
दिनांक-........

सचिव
जल संसाधन विभाग
डायरी सं० 4613
दिनांक 08/06/26

विशेष सचिव, कोषांग
डायरी सं० 1344 (अनु०)
दिनांक 09/06/26
जल संसाधन विभाग
बिहार, पटना

S.O-02
10.06.26

281/sec-17
10/06/26

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः— 02/स्था0—17—01/2025— 3239 पटना, दिनांक— 11.06.26

प्रतिलिपिः— सभी अभियंता प्रमुख/विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारीगण एवं कर्मचारी, जल संसाधन विभाग, बिहार को श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—3212 दिनांक—05.06.2026 के साथ संलग्न अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कार्यपालक अभियंता, IT Centre, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सभी संबंधित कार्यालय को ई—मेल करने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु0:— यथोक्त।

11.6.2026
(कृष्ण गोपाल)
सरकार के उप सचिव
11.06.26

शपथ पत्र

मैं ....शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं किसी भी रूप में बाल श्रम का समर्थन नहीं करूँगा/करूँगी और न ही उसे बढ़ावा दूँगा/दूँगी।

मैं अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में यह ध्यान रखूँगा/रखूँगी कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे से श्रम कार्य न कराया जाय।

मैं समाज में बाल श्रम के विरूद्ध जागरूकता फैलाने हेतु निरंतर प्रयास करता/करती रहूँगा/रहूँगी।

मैं यह प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं राज्य को बाल श्रम मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए पूरी ईमानदारी, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ कार्य करूँगा/करूँगी।

शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर